S l. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

26/6/18

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–06/2015

शेषमनी यादव – आवेदक

बनाम

कृष्ण मोहन सिंह, पे0–स्व सुन्दर सिंह – विपक्षी सं0–01
राजेश सिंह पे0–स्व सुन्दर सिंह – विपक्षी सं0–02
रोहित सिंह, पे0–स्व सुन्दर सिंह – विपक्षी सं0–03

आदेश

आवेदक द्वारा सोनो अंचल अन्तर्गत ग्राम–पेनवाजन अन्तर्गत विपक्षीगण के पिता के नाम स्व0 सुन्दर सिंह के नाम कायम जमाबन्दी को रद्द कराने के बावत यह वाद दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 (1) अन्तर्गत लाया गया है।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
सोनो	पैनवाजन	79	420	0.60	308
कुल रकवा				0.60 एकड़	

दाखिल आवेदन तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् 'वाद' को अंगीकृत किया गया। विपक्षीगण को पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गई।

आवेदक का कहना है कि खाता संख्या–79 में निहित विभिन्न खेसरा का कुल रकवा–6.58 एकड़ है जो उनकी खतियानी भूमि है। सम्पूर्ण रकवा 6.58 एकड़ की जमाबन्दी उनके पिता गोविन्द महतो के नाम कायम है जिसकी जमाबन्दी से 27 है।

आवेदक के अनुसार उनके पूर्वज के द्वारा कभी कोई भूमि भू–दान यज्ञ कमिटि को दान में नहीं दिया गया है। विपक्षीगण ने फर्जी/जाली भूदान यज्ञ समिति का प्रमाण पत्र बना कर उनके खतियानी भूमि खाता सं0–79, खेसरा सं0–420 का 0.60 एकड़ भूमि का जमाबन्दी विधि विरूद्ध अपने नाम से करवा लिया है। जब मामला संज्ञान में आया तो आवेदक ने अंचल अधिकारी, सोनो को त्तसंबंधित जमाबन्दी सुधार का आवेदन दिया।

अंचल अधिकारी, सोनो ने आवेदन के आलोंक में विविध वाद सं0–22/13–14 दायर किया गया। आवेदक का दखल कब्जा पाया गया एवं तदनुसार विधिवत् सुनवाई के पश्चात 0.60 डी0 भूमि आवेदक के जमाबन्दी में हस्तांतरण करने का आदेश पारित किया गया। मगर विपक्षी के द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर उप

A Home Jud

समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में अंचल अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध विविध अपील वाद 02/2014–15 दायर किया गया, जहाँ उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, सोनो के विविध वाद सं0–22/2013–14 के आदेश को खारिज कर दी गई।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी के पिता स्व0 सुन्दर सिंह भूदान यज्ञ समिति से पर्चा प्राप्त करने की अहर्ता नहीं रखते थे। पूर्व से ही इनके पास कॉफी भूमि था। इस कारण दिनांक–29.01.1952 को 8.08 एकड़ भूमि का अर्पणनामा राज्यपाल के नाम इन्दिरा गॉधी स्मारक महाविद्यालय के लिये लिखा गया। आवेदक का यह भी कथन है कि अगर वर्ष 1956 में भू–दान से बन्दोवस्ती प्रमाण पत्र दिया गया तो लम्बी अवधि के बाद दाखिल खारिज वर्ष 2001 में कराया जाना पर्चा को संदिग्ध प्रमाणित करती है।

आवेदक के अनुसार दान–पत्र सम्पुष्ट नहीं है। बिना सम्पुष्टि का ही भूदान यज्ञ समिति द्वारा नियम विरूद्ध प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसका कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। जमाबन्दी संख्या–308 को सृजन वैधानिक प्रकियाओं के अनुकुल नहीं हुआ है। अतएव जमाबन्दी रद्द करने योग्य है।

आवेदक के दावा के विरूद्ध विपक्षी का कथन है कि :–

1. उनके पिता सुन्दर सिंह को वर्ष 05.09.1956 को भू–दान यज्ञ समिति से परवाना सं0–745785/21238 द्वारा खाता संख्या–86, 89, 91 एवं 77 से खेसरा सं0–423, 420, 421 एवं 427 कुल रकवा–1.83 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ था।

विपक्षीगण के पिता के द्वारा वर्ष 2001 में भू–दान यज्ञ समिति से प्राप्त परवाना के आलोक में अंचल में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, सोनो के द्वारा मंत्री जिला भू–दान यज्ञ कार्यालय से निर्गत परवाना की सम्पुष्टि की मॉग की गई । भू–दान मंत्री ने अपने पत्रांक–17/2001–93 दिनांक–12.12.2001 से संसूचित किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रश्नगत दान–पत्र सम्पुष्ट है। भू–दान यज्ञ समिति द्वारा प्रमाण पत्र के सम्पुष्टि के पश्चात् भूदान दाखिल–खारिज वाद सं0–519/2002–03 कायम कर स्थल जॉच कर विपक्षी के पक्ष में लगान निर्धारण हेतु अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को भेजा गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने अपने पत्रांक–2551/भू0सु0, दिनांक–30.04.2005 से अंचल अधिकारी, सोनो को उभय पक्षों को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करने का निदेश दिया। उक्त निदेश के आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0–01/06–07 से रैयत हुरो महतो पे0–स्व0 जेहल महतो, गोविन्द महतो पे0–स्व0 जवाहर महतो, धनेश्वर महतो, शिव प्रसाद साह पे0 देवनन्दन साव को खास नोटिस निर्गत की गई। पूर्व प्रकिया अपनाते हुये कृष्ण मोहन सिंह एवं अन्य पे0–स्व0 सुन्दर सिंह के नाम खाता संख्या–86, 79, 91 एवं 77, खेसरा संख्या–423, 420, 421, 427 रकवा–1.83 एकड़ का दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई एवं तद्नुसार जमाबन्दी सं0–308 कायम हुई।

विपक्षीगण के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर उनका पूर्ण दखल–कब्जा तथा कच्चा– पक्का मकान अवस्थित है। गाच्छ–वृक्ष अवस्थित है, शेष भूमि पर वे खेती बाड़ी करते है।

वर्ष 2014–15 में जब विपक्षी रसीद कटवाने गये तो हल्का कर्मचारी

A Home Jud

द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, सोनो ने विविध वाद संख्या–22/13–14 से खाता सख्या–79, खेसरा सं0–420, रकवा–60 डी0 को आवेदक के पूर्वज के नाम कायम जमाबन्दी सं0–27 में हस्तांतरण करने का आदेश पारित कर दिया है। अंचल अधिकारी, सोनो के नियम विरूद्ध इस आदेश के विरूद्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के यहॉ अपील वाद संख्या–02/2014–15 दर्ज किया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा विधिवत् सुनवाई के पश्चात् क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करने के बाबत अंचल अधिकारी, सोनो के विविध वाद आदेश 22/13–14 को विखंडित कर दिया गया।

विपक्षी का कहना है कि विविध वाद सं0–02/14–15 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा जमाबन्दी संख्या–308 को विधि सम्मत कायम होना अभिनिर्धारित (HOLD) किया गया है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के आदेश के विरूद्ध आवेदक को पुनरीक्षण वाद में जाना चाहिए था न कि जमाबन्दी रद्दीकरण वाद लाना चाहिए था। अतएव 'वाद' पोषणीय नहीं है।

विपक्षीगण का यह भी कहना है कि वे आपसी बॅटवारा वाद सं0–186/15–16 के द्वारा भूदान से प्राप्त पर्चा रकवा–1.83 एकड़ का बंटवारा करा लिये तद्नुसार जमाबन्दी संख्या 308 से जमाबन्दी सं0–408, 409, एवं 410 कायम हुआ। वर्तमान में जमाबन्दी सं0–308 अस्तित्व में नहीं है। जमाबन्दी सं0–308 के विरूद्ध वाद दाखिल करना पोषणीय नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया।

आवेदक उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय विविध वाद सं0–02/14–15 में विपक्षी थे। उक्त वाद में इनके विरूद्ध आदेश पारित हुआ। इस वाद में विपक्षी के जमाबन्दी सं0–308 को विधि सम्मत माना गया। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पुंनरीक्षण वाद लाना चाहिए था। जमान्दी रद्दीकरण वाद पोषणीय नहीं प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा पर्चा को फर्जी/जाली बताया गया। मगर मंत्री भू–दान यज्ञ समिति के द्वारा उक्त परवाना को अपने कार्यालय से निर्गत बताया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने विविध वाद सं0–02/14–15 में जमाबन्दी सं0–308 के सृजन को विधि सम्मत् अभिनिर्धारित (HOLD) किया है। द्रष्टव्य है कि जमाबन्दी सं0–308 के सृजन का आधार भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही है।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय के द्वारा जब जमाबन्दी सं0–308 को विधि सम्मत् माना गया है तो स्पष्ट है कि उक्त न्यायालय द्वारा जमाबन्दी सृजन के आधार भूदान परवाना को वैध माना गया। भूदान दान–पत्र के सम्पुष्टि के लिये सक्षम पदाधिकारी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ही है। अतएव जब उनके द्वारा जमाबन्दी का आधार भू–दान परवाना सही स्वीकार कर लिया गया तो दान–पत्र की सम्पुष्टि नहीं होने की बात स्वीकार करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है। पुनश्चः भूदन मंत्री के द्वारा भी अपने पत्र 17/2001–93 दिनांक–12.12.2001 से अधिनियम की धारा 18 अन्तर्गत संबंधित दान–पत्र को सम्पुष्ट बताया गया है । अतएव दान–पत्र के सम्पुष्ट नहीं होने के आवेदक का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है।

विपक्षी भू–दान यज्ञ समिति से पर्चा प्राप्त करने का अहर्ता रखते थे या

नहीं इस बिन्दु पर निर्णय लेने के लिय यह न्यायालय प्रश्नगत वाद में सक्षम नहीं है। आवेदक को भू–दान परवाना को रद्द करने हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार या सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद लाना चाहिए था। अतएव पर्चा/परवाना प्राप्त करने के अर्हता नहीं रखने के बिन्दु पर आवेदक का दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, सोनो को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 725 /रा0, दिनांक– 29.06.2018

प्रतिलिपि–विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, सोनो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

A Home Jud